



पत्रांक: 623 / वि०जा०वि०मं० / मेरठ / टी-2

दिनांक :- 12/05/2026

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक जागरण
मेरठ।


विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्दुस्तान
मेरठ।

प्रति-

विज्ञापन आदेश

महोदय,

- कृपया निविदा सूचना एक बार अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-13.05.2026 के अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए Krutidev 10 एवं फॉन्ट साईज 10-12-14 में (संलग्न प्रारूपनुसार) तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए Times New Roman एवं फॉन्ट साईज 08-10-12 में (संलग्न प्रारूपनुसार) समाचार पत्रों में 8 सेमी चौड़ाई के कॉलम (equivalent to 2 Columns of newspaper) में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
 - प्रबन्ध निदेशक, महोदय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ के पत्रांक 1004/प्र०नि०/प०वि०वि०नि०लि०/मे०/ज०स०/समा०पत्रा०/2025-26 दिनांक 01.05.2025 में निविदाओं में प्रकाशन हेतु निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाये।
 - कृपया संलग्न निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 - प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियों संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ को प्रेषित करें।
 - विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
 - संलग्न भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 - विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अद्योहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - यदि आपको सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवम् दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
 - उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है, अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।
- संलग्नक: निविदा सूचना-(दो प्रतियों में) प्रथम प्रति/द्वितीय प्रति।



(अवधेश कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक: 623 / वि०जा०वि०मं० / मेरठ / टी-2

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- मुख्य अभियन्ता (जानपद), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ।
- जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ।


(अवधेश कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ




अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 623 दिनांक 12.05.2026

निविदा संख्या 04 से 05 तक के कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-04/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/2026-27: 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र गंगानगर, मेरठ के परिसर में स्थित हाईटैक लैब के अवशेष जानपदीय कार्य। निविदा शुल्क रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) धरोहर धनराशि रू0 7,600.00।
2. निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-05/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/2026-27: 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र उपैडा जनपद हापुड पर कन्ट्रोल रूम के विस्तारीकरण सम्बन्धी जानपदीय कार्य। निविदा शुल्क रू0 3540.00 (जी0एस0टी0 सहित) धरोहर धनराशि रू0 11,000.00।

अल्पकालिक ई-निविदा की अन्तिम तिथि 29 मई 2026, सांय 05.00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।


अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
पश्चिम प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ



अल्पकालिक ई-निविदा हेतु नियम एवं शर्तों (वेबसाइट हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु अल्पकालिक ई-निविदा दो भागों में ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से संलग्न Pre-Qualification Criteria के अनुसार निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित की जाती है।


1. निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-04/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2026-27: 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र गंगानगर, मेरठ के परिसर में स्थित हार्डटैक लैब के अवशेष जानपदीय कार्य। निविदा शुल्क रू० 1180.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू० 7,600.00। कार्य की अवधि 03 माह।
2. निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-05/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2026-27: 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र उपैडा जानपद हापुड पर कन्ट्रोल रूम के विस्तारीकरण सम्बन्धी जानपदीय कार्य। निविदा शुल्क रू० 3540.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू० 11,000.00। कार्य की अवधि 03 माह।

नियम एवं शर्तों:-

1. निविदा अभिलेख ऑनलाईन 29.05.2026 को 17:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा ऑनलाईन <http://etender.up.nic.in> साइट पर दिनांक 29.05.2026 को 17:00 बजे तक डाला/अपलोड किया जा सकता है।
2. दिनांक 30.05.2026 को अपराह्न 15:00 बजे तकनीकी भाग पत्र (भाग-प्रथम) ऑन लाइन खोला जायेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त उपयुक्त/अर्ह पाये गये निविदादाताओं के वित्तीय भाग-पत्र (भाग-द्वितीय) ऑन लाइन खोले जायेंगे। निविदादाताओं की तकनीकी योग्यता संलग्न Pre-Qualification Conditions for Tenderer के अनुसार होना चाहिए। तकनीकी योग्यता पूरा न करने वाले निविदादाता के निविदा के वित्तीय भाग-पत्र (भाग-द्वितीय) नहीं खोला जाएगा।
3. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 04 माह होगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता का अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है अथवा कार्य एक या दो से अधिक ठेकेदारों में विभक्त किया जा सकता है।
4. अर्हता नियम एवं शर्तों का विस्तृत विवरण www.etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
5. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदाएं, ऑनलाईन डालने हेतु निविदादाता को यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लि०, लखनऊ अथवा किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथारिटी द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
6. निविदा खुलने की तिथि पर आकरिमक अक्लेश पड़ जाने या इन्टरनेट/तकनीकी कारणों से बाधित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
7. यदि फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदा शुल्क जमा कर दिया जाता है अथवा किन्हीं कारणों से प्रश्नगत निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा शुल्क वापस नहीं होगा। अतः भविष्य में पुनः उक्त कार्य हेतु, यदि निविदा आमंत्रित की जाती है तो निविदा शुल्क पुनः जमा करना अनिवार्य होगा।
8. यदि किन्हीं कारणों से यह निविदा निरस्त की जाती है तो इस निविदा के साथ जमा की गई धरोहर धनराशि को सम्बन्धित फर्म के पक्ष में अवमुक्त कर दिया जाएगा। यदि इस कार्य की पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है तो फर्म को पुनः धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जमा की गई धरोहर धनराशि नई ई-निविदा हेतु मान्य नहीं होगा।

9. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की 53वीं बैठक में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08, टी0सी0-2, दिनांक 08.06.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार (10 प्रतिशत कम दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्कोरिटी/परफारमेंस गारण्टी) अनुमानित दरों से कम दरों पर रेट डालने पर सम्बन्धित फर्म से निविदित लागत पर अतिरिक्त धनराशि सिक्कोरिटी/परफारमेंस गारण्टी के रूप में अनुबन्ध के समय एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से खाता संख्या-2512002100023637 of Superintending Engineer, Electricity Civil Distribution Circle, Civil Lines, Saket, Meerut (U.P)-250001 IFSC Code no. PUNB0251200 के पक्ष में देय होगा।
10. निविदादाता निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/शुद्धिपत्र हेतु ई-टेण्डरिंग पोर्टल/वेबसाइट पर सजग रहे/देख सकते हैं।
11. जिन ठेकेदारों/फर्मों को कारपोरेशन अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था/निगमों द्वारा वंचित/व्यापार निषिद्ध किया गया हो, तो वे ई-निविदा डालने हेतु पात्र नहीं होंगे।
12. यदि कोई ऐसी बात संज्ञान में आती है कि ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के सम्बन्ध में कोई फर्जी प्रपत्र/दस्तावेज अपलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त की जाएगी। साथ ही ऐसा करने वाली फर्म की धरोहर धनराशि जब्त करने अथवा वंचित/व्यापार निषेध अथवा दोनों कार्यवाही की जा सकती है।
13. निविदित फर्म द्वारा ई-निविदा में भाग लेते समय निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि को विभागीय खाता में हस्तान्तरित होने की पुष्टि के उपरान्त ही आनलाइन ई-निविदा भरी जाए।
14. कार्य स्वीकृति/प्रारम्भ करने हेतु निर्गत एल.ओ.आई. (L.O.I.)/एल.ओ.ए. (L.O.A.) में निर्धारित की गई तिथि तक अनुबन्ध न किये जाने की स्थिति में फर्मों के पक्ष में स्वीकृत निविदा को निविदा के साथ जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदित फर्म का होगा। साथ ही यदि निविदित फर्म द्वारा बिना अनुबन्ध कराये कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित कराया जाता है तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी किसी भी दशा में विभाग की नहीं होगी। इसके लिए निविदित फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगे।

“ राष्ट्र हित में बिजली बचायें ”


 12/05/26
 अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
 अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
 विद्युत वितरण मण्डल
 माचल विद्युत वितरण निगम लि०
 विक्टोरिया पार्क, मेरठ